



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभारी पैरवी कर घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹18,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 1943/2008 धारा- 386,452,342,323,504,506 भा०द०सं० व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.राकेश कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी चकोठी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2. ललित कुमार तिवारी पुत्र राममनोहर तिवारी निवासी टीकापुर कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹18,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ जोगेन्द्र लाल



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह